

# फर्द अहकाम

गोपीराम बनाम अशोक चण्डा 14/11/2017

यालय  
या 2/2017 (1/2)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
9/6/25	पञ्चाली प्रस्तुत/वकील प्रार्थी/प्रार्थी 1, 4, 5 कतः प्रार्थी 1, व 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पञ्चाली वामतः बचत जिक्र 126125 को पेश हो।	
12/6/25	पञ्चाली प्रस्तुत/वकील प्रार्थी/प्रार्थी उप.। प्रार्थी कोशिका जिक्र 9/6/25 को सद्यः 1, 4, 5 लिखा गया। जिसे दुर्लभ किया जाता है प्रार्थी 2 व 3 का प्रत्येक के जवाब पेश हो। दुर्लभ प्रार्थी-4 का जवाब पेश किया जाता है। पञ्चाली वामतः बचत जिक्र 12/6/25 को पेश हो।	<p>सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर</p>
19/6/25	पञ्चाली प्रस्तुत/वकील प्रार्थी उपस्थित/प्रार्थी अधिवक्ता की बचत सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने उ-ही तथ्यों का वर्णन किया जो कि प्रार्थी-पक्ष में दिक्रित हैं। प्रार्थी ने जाहिर किया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगापत 3 प्रार्थी की खातेपारी भूमि के मध्य उत्तर से दक्षिण की तरफ पूर्ववर्त रास्ता निकालने पर उतारु हो के पाप रास्ता बनाते हैं। प्रार्थी को अप्रार्थी पक्ष होनी। कतः अप्रार्थी-1 को पार्थी किया जाये। अप्रार्थी-2 के अधिवक्ता ने अप्रार्थी जवाब प्रार्थी में दिक्रित किया है कि	<p>सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर</p>



**फर्द अहकाम**

गोपीलाल बनाम राजेंद्रप्रसाद वामनप्रसाद

नाम न्यायालय AC डायरेक्ट - ५२३२

केस संख्या २/२०२५ (१६)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>खण्ड नं. १५०९, १५०३, १५०८ एवं १५१७ पर PWD विभाग द्वारा सड़क कार्य नहीं किया जा रहा है। खतरा नम्बर १५८। रास्ते की भूखण्ड है। प्रस्तुत तर्कों, जवाब के आधार से जर्जी ने यह साबित नहीं किया कि अग्रजर्जी जर्जी की अग्रजर्जी भूखण्ड में से रास्ता काफ़ी कर रहे है। अतः प्रत्यक्ष दरपन मामला, अग्रजर्जी जर्जी जर्जी के पक्ष में प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रत्यक्ष पर अग्रजर्जी निषेधाज्ञा अग्रजर्जी कर खरीदा किया जाता है। पत्राचार केवल शुक्र होकर वाबिल फिन्त (१)</p>

*Bani*  
 सहायक कलक्टर  
 आमेर म. जयपुर